

हिमाचल प्रदेश सरकार,
पंचायती राज विभाग।

संख्या:पीसीएच-एचए (1) 2/2019-54001-54015 शिमला-171009

दिनांक 22.8.2020.

अधिसूचना

क्योंकि उपायुक्त, सिरमौर के माध्यम से विभाग में प्राप्त प्रस्तावनाओं के आधार पर और सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार, जिला सिरमौर, के निम्नलिखित ग्राम सभा क्षेत्रों के विभाजन एवं पुनर्गठन हेतु प्रस्तावना विचाराधीन है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (वर्ष 1994 का अधिनियम संख्यांक 4) की धारा 3 की उप-धारा (1) व (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला सिरमौर, के ग्राम सभा क्षेत्रों, जिनका विवरण निम्न अनुसूची में दिया गया है, को निम्नानुसार विभाजित/पुनर्गठित करने एवं नए ग्राम सभा क्षेत्रों को घोषित करने तथा उपरोक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) के प्रयोजन हेतु ग्राम सभाओं के गठन करने का प्रस्ताव करते हैं, और यथा अपेक्षित सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों की जानकारी एवं सार्वजनिक सुझाव और आक्षेप आमंत्रित करने के लिए हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में प्रकाशित करने एवं जिला सिरमौर के उपायुक्त को, इस सम्बन्ध में सुझावों/आक्षेपों को प्राप्त करने तथा उन पर विचार करने के लिए प्राधिकृत करने के आदेश प्रदान करते हैं;

यदि निम्न अनुसूची में वर्णित ग्राम सभा क्षेत्रों के विभाजन/पुनर्गठन जोड़ने/काटने व फेरबदल इत्यादि के सम्बन्ध में, सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों को कोई सुझाव/आपत्ति प्रस्तुत करना हो तो वे अपने सुझाव या आक्षेप इस अधिसूचना के जारी होने के दिनांक से 7 दिनों की अवधि के भीतर उपायुक्त, जिला सिरमौर, को प्रस्तुत कर सकेंगे। उपरोक्त नियत अवधि के अवसान के पश्चात् सुझाव या आक्षेप, जो कोई भी हों, ग्रहण नहीं किए जाएंगे;

राज्य सरकार, जिला सिरमौर के निम्न अनुसूची में वर्णित ग्राम सभा क्षेत्रों के विभाजन/पुनर्गठन तथा नए ग्राम सभा क्षेत्रों को घोषित करने और उनके लिए नई ग्राम सभाओं के गठन बारे में अन्तिम अधिसूचना, इस सम्बन्ध में उपायुक्त जिला सिरमौर, की सिफारिश के दृष्टिगत, जारी करेगी।

क्र० सं०	वर्तमान ग्राम सभा का नाम	कोष्ठ संख्या-2 में वर्णित ग्राम सभा के नाम	अपवर्जित ग्रामों के लिए नई ग्राम सभा तथा उसके मुख्यालय का नाम	कोष्ठ संख्या-4 में वर्णित नई ग्राम सभा में सम्मिलित होने वाले ग्रामों के नाम	कोष्ठ संख्या-3 में वर्णित ग्राम सभा में बचे शेष ग्रामों के नाम	विवरण
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1. विकास खण्ड का नाम:-नाहन						
1.	कटाह शीतला	1. कथला पछावग 2. डेबरी रताडी 3. कांगटा फलैग 4. कशेलग माशगा	कमलाइ	1. कथला पछावग 2. डेबरी रताडी 3. कांगटा फलैग 4. कशेलग माशगा	1. ढान्ग 2. कटाह 3. गाँवडा 4. शिरू मईला	

		5. कमलाड़ 6. खैरी चेंगन 7. ढान्ग 8. कटाह 9. गाँवडा 10. शिरू मईला		5. कमलाड़ 6. खैरी चेंगन		
2. विकास खण्ड का नाम:-पाँवटा साहिब						
1.	काण्डो कांसर	1. मैहत 2. चियाममियाना 3. भाटना क्यालना 4. कटवाड़ी भागड़त 5. काण्डो फागड़ 6. कांसर 7. मधारा 8. सवाड़ा लंडासी	कटवाड़ी भागड़त	1. मैहत 2. चियाममियाना 3. भाटना क्यालना 4. कटवाड़ी भागड़त	1. काण्डो फागड़ 2. कांसर 3. मधारा 4. सवाड़ा लंडासी	
2.	शिवपुर	1. शिवपुर 2. अकालगढ़ 3. अम्बवाला सिंघपुरा 4. बरोटीवाला 5. पट्टी नथा सिंह 6. भुंगरनी 7. हरिपुर टोहना	भुंगरनी	1. पट्टी नथा सिंह 2. भुंगरनी 3. हरिपुर टोहना	1. शिवपुर 2. अकालगढ़ 3. अम्बवाला सिंघपुरा 4. बरोटीवाला	
3. विकास खण्ड का नाम:-पच्छाद						
1.	नारग	1. नारग 2. मोहर 3. नौहरा 4. कांवखी खगोग 5. कोफटू थलेड़ी की बेड़ 6. अजगा 7. भडूत 8. दीद घलूत	दीद घलूत	1. नौहरा 2. भडूत 3. दीद घलूत	1. नारग 2. मोहर 3. कांवखी खगोग 4. कोफटू थलेड़ी की बेड़ 5. अजगा	
4. विकास खण्ड का नाम:-राजगढ़						
1.	शाया सनौरा	1. खनीवड़ नाल मेला 2. मानवा 3. कलोहा शकैन 4. शिमलियां	धनच-मानवा	1. खनीवड़ नाल मेला 2. मानवा 3. कलोहा शकैन 4. शिमलियां	1. जोल 2. रोहड़ी 3. शाया 4. सनौरा	


		5. धनच चुखड़ियां 6. जोल 7. रोहड़ी 8. शाय 9. सनोरा 10. धामला		5. धनच चुखड़ियां	5. धामला	
5. विकास खण्ड का नाम:-संगडाह						
1.	भराड़ी	1. भराड़ी 2. भानरा 3. पुन्नरधार	पुन्नरधार	1. पुन्नरधार	1. भराड़ी 2. भानरा	
2.	कोटीधिमान	1. कोटीधिमान 2. छोऊ भोगर 3. कोठिया	छोऊ भोगर	1. छोऊ भोगर 2. कोठिया	1. कोटीधिमान	
6. विकास खण्ड का नाम:- शिलाई						
3.	जरवा जुनैली	1. डाहर 2. जरवा जुनैली 3. किणु कुलाह	डाहर	1. डाहर	1. जरवा जुनैली 2. किणु कुलाह	

आदेश द्वारा
सचिव (पंचायती राज),
हिमाचल प्रदेश सरकार।

संख्या:पीसीएच-एचए (1)2/2019-54001-54015 शिमला-171009 दिनांक 22.8 .2020.

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु निम्नलिखित को प्रेषित है:-

1. उपायुक्त, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश को इस आशय सहित कि वह इस अधिसूचना के सम्बन्ध में निर्धारित अवधि के भीतर प्राप्त सुझावों आप्तियों/आक्षेपों, यदि कोई हों, का तुरन्त निपटारा करके अपनी अन्तिम सिफारिश आप्तियों तथा आक्षेपों को प्राप्त करने की अन्तिम तिथि से 3 दिनों की अवधि के भीतर विशेष वाहक द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित करने की कृपा करें।
2. जिला पंचायत अधिकारी, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश को इस आशय सहित कि वह उक्त अधिसूचना का सम्बन्धित ग्राम सभा क्षेत्रों में व्यापक प्रचार सुनिश्चित करें।
3. समस्त सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश को इस आशय सहित कि वह उक्त अधिसूचना की एक प्रति सम्बन्धित ग्राम पंचायत के प्राधन/सचिव को सम्बन्धित ग्राम सभा क्षेत्रों में व्यापक प्रचार करने हेतु तुरन्त उपलब्ध करवाएं तथा इसका व्यापक प्रचार सुनिश्चित करें।
4. समस्त सम्बन्धित प्रधान/सचिव, ग्राम पंचायत, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश को इस आशय सहित कि वह उक्त अधिसूचना की प्रति का ग्राम सभा क्षेत्र में सार्वजनिक स्थलों तथा ग्राम पंचायत के सूचना पट्ट पर चसपान सुनिश्चित करवाएंगें तथा इस अधिसूचना का समस्त ग्राम सभा क्षेत्र में व्यापक प्रचार सुनिश्चित करें।


अतिरिक्त निदेशक,
पंचायती राज विभाग,
शिमला - १